


राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर
क्रमांक एफ.11(41)()अत्या.निवा./सा.न्या.अ.वि./2019/ 14023 जयपुर, दिनांक 12 मार्च, 2019
आदेश

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 व संशोधित नियम, 2016 के नियम 9 में "राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्वेषण अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को मनोनीत किए जाने के प्रावधान" के क्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के हायर सुपर टाईम श्रृंखला के अधिकारी डॉ. आर. वैकटेश्वरन को नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाता है। नोडल अधिकारी प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित का पुनर्विलोकन करेंगे:-

1. नियम 4 के उप नियम (2) और उप नियम (4), नियम 6, नियम 8 के खण्ड (xi) के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट।
2. अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति।
3. परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति।
4. अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रितों को नकद या वस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाये गये विभिन्न उपाय।
5. अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रितों को राशन, वस्त्र, आश्रय, विधिक सहायता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथ परिवहन सुविधाओं जैसी तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं की पर्याप्तता।
6. अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार गैर सरकारी संगठनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष, विभिन्न समितियों और लोक सेवकों का कार्यपालन।



(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक एफ.11(41)()अत्या.निवा./सा.न्या.अ.वि./2019/ 14024-124 जयपुर, दिनांक 12 मार्च, 2019
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महागृहम राज्यपाल महादेय, राज. जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. महानिदेशक, पुलिस विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
9. डॉ. आर. वैकटेश्वरन, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
10. श्री आनन्द कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग, राज. जयपुर।
11. समस्त जिला कलक्टर.....।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक.....।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त प्रगारी अधिकारी, मुख्यावास, सान्याअवि, जयपुर।
15. समस्त जिलाधिकारी सान्याअवि.....।

49
आयुक्त
12-3-19